

19/3/26

पत्रावली से ही अधिवक्ता धरिए नहीं /  
वास्ते तत्कालीन दिनांक 30/3/25  
को पत्र हो। मुकदमों कि अधिवक्ता रूप पथ  
धरिए नहीं वाट - 2 आवाने लगाई  
गई। असाधारण / असाधारण धरिए नहीं  
होने पर पत्रावली का काम धरणी / कदम  
पैरी से खासि ही जाती है पत्रा.  
मेकला बैकट वासिलर समत हो